"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]　　　रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 जुलाई 2014—— आषाढ़ 12, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-49/2014/1-10/अधी. —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची की टीप क्रमांक (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) मंत्री, ससंदीय सचिव, उपाध्यक्ष सरगुजा एवं उत्तर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष द्वारा उनकी निजी स्थापना में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां, इच्छानुसार की जायेगी, जिसकी अवधि उनके कार्यकाल अथवा उनके द्वारा सेवा समाप्त करने तक सीमित होगी :

परंतु यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति, भर्ती नियमों में पद के लिये विहित आयु एवं शैक्षणिक अर्हता धारित नहीं करता है तो वह भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.